प्रशासनिक कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

आदेश सं० 155/2020
दिनांक 06.07.2020

आदेश

विशेष न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम फर्रूखाबाद में कार्यरत अर्दली श्री राजीव कुमार बाथम की कोविड-19 की रिपोर्ट दिनांक 06.07.2020 को धनात्मक प्राप्त हुयी। उक्त परीक्षण रिपोर्ट अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल आफीसर कोविड-19 फर्रूखाबाद द्वारा व्हाटस एप पर उपलब्ध करायी गयी। इस संबंध में जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रूखाबाद से दूरभाष पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की वार्ता हुयी। विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि कोविड-19 की रोकथाम हेतु जजशिप फर्रूखाबाद के मुख्यालय स्थित सभी न्यायालय को दिनांक 07.072020 एवं 08.07.2020 को बन्द किया जाना आवश्यक है। ताकि इस मध्य सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को अच्छी तरह से सेनेटाइज कराया जा सके।

अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Couts/ Allalahabad/dated 03June 2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के प्रस्तर संख्या 15 के अनुपालन में जनपद न्यायालय के मुख्यालय स्थित सभी न्यायालयों को दिनांक 07.07.2020 एवं 08.07.2020 (दो कार्य दिवस)के लिये बन्द किया जाता है।

उक्त दिनांक 07.07.2020 को नियत वादों में दिनांक 06.08.2020 एवं 08.07.2020 को नियत वादों में दिनांक 07.08.2020 आगामी सामान्य तिथि नियत की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी अधिकारी नजारत फर्रूखाबाद को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण न्यायालय परिसर तथा मुख्यालय स्थित प्रत्येक न्यायालय कक्ष एवं सभी कार्यालयों को सेनेटाइज व साफ सफाई कराने हेतु जिलाधिकारी फर्रूखाबाद, मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रूखाबाद व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका फर्रूखाबाद को पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

जो न्यायिक अधिकारीगण न्यायालय परिसर में प्रशिक्षण (ई-ट्रेनिंग) प्राप्त कर रहे हैं वे उक्त दोनों कार्यदिवस में अपने आवास से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कार्य दिवसों में रिमाण्ड कार्य, अवकाश कार्य दिवसों की भांति संपादित कराने हेतु व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रति अध्यक्ष/सचिव बार एसोसियेशन फर्रूखाबाद एवं अधिवक्ता संघ फतेहगढ़ को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे तदनुसार समस्त विद्वान अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में न आने के लिए अवगत करायें, जिससे कि समस्त अधिवक्ता चेम्बरों को भी सेनेटाइज किया जा सके।

सभी सम्बधित आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित हों एवं इस आदेश की प्रति जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे इस सूचना को लोकहित में समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें। आदेश की एक प्रति न्यायालय परिसर के नोटिस बोर्ड पर एवं एक प्रति न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर चस्पा की जाये।

आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को तदनुसार प्रेषित की जाये।

06/07/2020

(सुभाष चन्द)